

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1) श्री मिन्दु महतो पिता- जोधन महतो 2) राजेश महतो पिता- जोधन महतो, 3) विजय महतो पिता- जोधन महतो एवं 4) सुधीर कुमार महतो पिता- शिबनाथ महतो निवासी ग्राम- चुरी , थाना- खलारी जिला - राँची (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चुरी , थाना- खलारी जिला - राँची (झारखण्ड) थाना सं.16(रेयती भूमि) खाता सं. 56 प्लॉट सं. 101, 116/1315, 116/1316, 116/1317 एवं खाता सं. 27 प्लॉट सं. 107, 108, 110 एवं 113 कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- चुरी , थाना- खलारी जिला - राँची (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के ग्राम- चुरी , थाना- खलारी जिला - राँची (झारखण्ड) थाना सं.16(रेयती भूमि) खाता सं. 56 प्लॉट सं. 101, 116/1315, 116/1316 एवं 116/1317, खाता सं. 27 प्लॉट सं. 107, 108, 110 एवं 113, कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के तहत 1) श्री मिन्दु महतो पिता- जोधन महतो 2) राजेश महतो पिता- जोधन महतो, 3) विजय महतो पिता- जोधन महतो एवं 4) सुधीर कुमार महतो पिता- शिबनाथ महतो निवासी ग्राम- चुरी, थाना- खलारी जिला- राँची (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चुरी , थाना- खलारी जिला - राँची (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

अमित
22.06.22